

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के नियम 136 के अन्तर्गत)

राजस्थान गणराज्य के राज-2024

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्व ग्राम <u>मोरपानी</u> पं० <u>मोरपानी</u> भू०अ०नि०वृत्त <u>आबरोड</u> तहसील <u>सिरोही</u>						
क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	09	90/2	0.1138	कृषि पत्र केला हिस्सा-पूर्ण जाति मेधावाल सादेर खोलेर बालिन (पूर्वपति) मोरपानी ग्रामीण वेंडु शिखा आबरोड	कृषि पत्र केला हिस्सा-पूर्ण जाति मेधावाल सादेर खोलेर बालिन (पूर्वपति) मोरपानी ग्रामीण वेंडु आबरोड	राजस्थान ग्रामीण वेंडु मोरपानी वेंडु 938 डि. 24/12/2025 अनुमत वेंडु का नाम "राजस्थान ग्रामीण वेंडु" होकर से शुद्धि की जाती उचित है

मुताबिक मिसल/जमाबन्दी संवत् 2022 के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय के समक्ष श्रवण योग्य है।

साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।

प०हल्का मोरपानी भू०अ०नि० आबरोड की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण बन्दोबस्त संक्रियाओं के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय को सादर प्रेषित है।

प०हल्का मोरपानी भू०अ०नि० आबरोड राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। हाल जमाबन्दी में अमल किया जाये

दिनांक 26/2/26  
पटवारी (भू. अ.) मोरपानी  
तहसील आबरोड (सिरोही)  
पं० मोरपानी

दिनांक 26/2/26  
ह० भू०अ०नि० आबरोड

ह० राजस्व अधिकारी आबरोड  
तहसील आबरोड (सिरोही)

सहायक कलेक्टर आबरोड (सिरोही)  
ह० उपखण्ड अधिकारी